न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS

GCMS संख्या – 2024 / 164

प्रकरण संख्या – 60 / 24

अनवान

1. श्रीमती पार्वती पुत्री रामलाल जणवा (पत्नी दिनेश कुमार जणवा) निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती रसीला पुत्री रामलाल जणवा (पत्नी जगदीश जणवा) निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

……वादीगण

बनाम्

1. श्री रामलाल पिता मोडा जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
2. श्री भंवरलाल पिता मोडा जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती टमुबाई पत्नी जवेर जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्री गणपत पिता जवेर जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीमती रमीला पुत्री जवेर जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
6. श्रीमती गुडडीबाई पत्नी चौथमल जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
7. श्रीमती काजल पुत्री चौथमल जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
8. श्रीमती सीता पुत्री चौथमल जी जणवा नाबालीग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती गुडडीबाई पत्नी चौथमल जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
9. श्री जगदीश पिता भंवरलाल जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. ।
10. श्री मोहनलाल पुत्र नन्दलाल लाल निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
11. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता</u>

निर्णय दिनांक : 22.04.2025

1. प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल मे उपरोक्त वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आप माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने नाम पर दर्ज खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की वादग्रस्त जिस कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 04 एवं 09 को पंजीकृत विक्रय पत्र से विधिवत रूप से विक्रय कर आधिपत्य दिया गया है, वह वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 04 एवं 09 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है, जिसके प्रतिवादी संख्या 04 एवं 09 खातेदार [illegible] होकर आधिपत्यधारी हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा [illegible] को पैतृक होना बताया गया है, किन्तु वादग्रस्त संपति किस प्रकार से पैतृक है [illegible] कोई वर्णन पूरे वाद पत्र में वादीगण द्वारा किया हुआ नहीं है। वादग्रस्त संपति 1956 [illegible] पूर्व एच.यू.एफ. बनी [illegible] नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा [illegible] कथनों के आधार पर [illegible] वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण [illegible]र्शित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:54 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वादीगण द्वारा वाद पत्र की कलम न 03 में जो सजरा प्रस्तुत किया गया ... यह कि वादीगण द्वारा वाद पत्र की कलम न 03 में जो सजरा प्रस्तुत किया गया है उसमें वादीगण ने मूल पुरूष मोडा को बताया हुआ है जो कि सजरे के अनुसार वादीगण के दादा है इस कारण से वादग्रस्त संपति वादीगण के कथनानुसार ही मूलपुरूष की होना स्पष्ट है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वाद से यह भी पूरी तरह स्पष्ट है कि मूल पुरूष मोडा की मृत्यु हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद हुई है तथा वादीगण का जन्म भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभावी होने के बाद ही हुआ है, जिससे मूल पुरूष मोडा की मृत्यु के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार स्व मोडा की जो संपति उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 रामलाल में निहित हुई है, जिसको वादीगण ने वाद पत्र की कलम संख्या 04 में स्वीकार कर रखा है एवं प्रतिवादी संख्या 01 मोडा का प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी होकर है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 01 ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार संपति का पूर्ण रूपेण मालिक है तथा प्रतिवादी संख्या 01 को हर प्रकार से हस्तांतरण का अधिकार है एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रथम श्रेणी उतराधिकारी के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रीयों वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है एवं प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में वादीगण को धारा ... वाद लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जिससे वादीगण का वाद धारा ... उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत विधि द्वारा वर्जित होकर इसी बिन्दू के आधार पर इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया ... बताया कि प्रार्थना पत्र की कलम न. 2 जिस ढंग से लिखी गलत होकर अस्वीकार ... प्रतिवादी स. 1 को अपने हक हिस्से से ज्यादा की भूमि का हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी स. 1 द्वारा प्रतिवादी स. 4 एवं 9 के पक्ष मे जो दस्तावेज पंजियंन हुआ है वह बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के हम वादीगण के मूकाबले नुन्य दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादी स. 4 एवं 9 को किसी प्रकार के कोई खातेदारी राईट प्राप्त नहीं होते है। मात्र कागजी अंकन के आधार पर प्रतिवादी स. 4 एवं 9 को ... हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

4. यह कि वादीगण द्वारा माननीय न्यायलय में जो दावा पेश किया है जिसमें वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित मोरूसी होने का विधिवत कथन किया है जिसके जवाब की आवश्यकता नही है। वादीगण के वाद में ऐसा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया जिसके बारे में स्पष्ट कथन करना रह गया हो। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद कारण सही दर्शाया गया हैं। वैसे इस कलम में वर्णित उजर प्रतिवादीगण अपने जवाब दावा उठाने के लिए स्वतंत्र है और इस कलम में उठाये गये सारे बिन्दू साक्ष्य के आधार पर विनिश्चत किया जा सकता है। इस स्टेज पर वादीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र ... योग्य नहीं है। वादीगण के मौरूस मोडा जी है जिनका पुरे वाद में वर्णन किया गया है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते है। इस कलम में वर्णित बिन्दू प्रतिवादीगण अपने ... दावा में उठाने के लिए स्वतंत्र है और इस कलम में वर्णित समस्त बिन्दु तनकीयत कायम होने के बाद साक्ष्य एवं सबुत के आधार पर विनिश्चय किया जा सकता है वादीगण का वाद पुरी तरह से सही है और विधि द्वारा वर्जित नहीं है। वादग्रस्त ... हक अधिकार है और वादीगण को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय में विधि अनुसार सही दावा पेश किया गया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:54 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये—

I. ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1753
II. ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 558
III. 2016 डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 258
IV. ए.आई.आर. 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 494

6 पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के अध्ययन से पाया कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिसमें बताया कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है जो स्व मोडा पिता चुन्नीलाल जणवा के समय से चली आ रही है। स्वर्गीय मोडा की मृत्यु 25 वर्ष पुर्व हो चुकी है। खातेदार मोडा जी के निधन के बाद उक्त भूमि उनके पुत्रों रामलाल मे 1/3 हिस्से, भंवरलाल 1/3 हिस्से, जवेर मे 1/3 हिस्से से निहित हुई और इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अंकित हुई। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल की पुत्रीया है जिससे रामलाल के 1/3 हिस्से में वादीगण का जन्म से हक अधिकार है जिससे उक्त भूमि मे वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा है यह कि वाद वर्णित आराजीयात मे वादीगण 1/9–1/9 हिस्सा हक अधिकार हैं जिसका ज्ञान प्रतिवादी संख्या 4 व 9 को है और ये दोनो ही रिश्ते में वादीगण के भतीजे लगते है जिन्होने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामलाल को झांसे में लेकर षड्यंत्र रचकर उनको बहला फुसला कर बिना प्रतिफल, बिना कब्जे परिशिष्ट अ में वर्णित कुलिया आराजीयात का एक नुमाईशी विक्रय पत्र अजतरफ प्रतिवादी संख्या रामलाल बहक प्रतिवादी संख्या 4 गणपत के नाम 1/6 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 9 जगदीश के नाम 1/6 हिस्से से उप पंजियक कानोड में पंजियन करा दिया जो विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले शुरू से ही अवैध एवं शुन्य हैं और ऐसे शुन्य दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी गणपत एवं जगदीश द्वारा राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 272 दिनांक 28.05.2024 से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

7. अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में बताया कि दिनांक 28.05.2024 को जानकारी में आया की परिशिष्ट (द) में वर्णित भूमि भी प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा पुर्व में प्रतिवादी संख्या 1 को बहला फुसला कर वादीगणों को नुकसान पहुचाने की बदनीयती से प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा 1/3 हिस्से को बिना हक अधिकार बिना कब्जा बिना प्रतिफल के एक नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम अंकित करा दिया जबकि उक्त भूमि में वादीगणों का 1/9–1/9 हक हिस्सा अधिकार जन्म से ही है। इस प्रकार ऐसे अवैध शुन्य विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4, 9, 10 को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पति बताया जिससे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया।

8. प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर बताया कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वाद से यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि मूल पुरूष मोडा की मृत्यु हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद ही हुई है तथा वादीगण का जन्म भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभावशील होने के बाद ही हुआ है, जिससे मूल पुरूष मोडा की मृत्यु के पश्चात हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार स्व. मोडा की जो संपति उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 रामलाल में निहित [illegible] जिसको वादीगण ने वाद पत्र की कलम संख्या 04 में भी अंकित कर रखा है एवं प्रतिवादी [illegible] मोडा का प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी होकर जीवित है तथा प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 ही हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 08 के [illegible] संपति का पूर्ण रूपेण मालिक है तथा प्रतिवादी संख्या 01 को [illegible]तांतरण का अधिकार है एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रीयों (वादीगण) को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है एवं प्रतिवादी संख्या 01 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 60/24 अनवान श्रीमती पार्वती बनाम श्री रामलाल निर्णय दिनांक

जीवनकाल में वादीगण को घोषणा का वाद लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं
वादीगण का वाद धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत विधि
होकर इसी बिन्दु के आधार पर इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। प्रकरण में
से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा यह वाद अपने पिता के जीवनकाल में
लाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित
स्वर्गीय मोडा जी के समय से चली आ रही होना बताया है तथा मोडा जी की
वर्ष पूर्व होना बताया है जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि मोडा जी की
उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद हुई हैं। इस संबंध में
प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

I. ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1753
II. ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 558
III. 2016 डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 258
IV. ए.आई.आर. 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 494

उपरोक्त वर्णित सभी न्यायिक दृष्टान्तों में इस बिन्दु को पूर्णतया निर्धारित कर दिया
कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सन् 1956 के पश्चात होती है और उसके पहले से कोई
बनी हुई नहीं है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधि
1956 के अनुसार ही उत्तराधिकारी खुलेगा एवं इस स्थिति में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी
जीवनकाल में उसके पुत्र, पुत्रीयों को वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण
तथ्य भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टान्त 2016 डी.एन.जे. पेज
258 में वर्णित तथ्यों के समान ही है। हस्तगत प्रकरण भी वादीगण द्वारा अपने पि
जीवनकाल में प्रस्तुत किया गया है। इसी बिन्दु को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
बैसिक केस ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1753 में लिया गया है जिसे पश्चात
समस्त न्यायिक दृष्टान्तों में उल्लेखित किया गया है। किसी भी वाद में मात्र यह अंकित
देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पति है, पर्याप्त नहीं है। वादीगण को यह
होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु
1956 के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा
अगर यह स्थिति नहीं है तो किसी भी सम्पति को मौरूसी सम्पति नहीं माना जा सकता है
ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद कोई वाद कारण दर्शित नहीं करता है जो न्यायिक दृष्
ए.आई.आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 स्पष्ट है। न्यायिक दृष्टान्त 2014(1)ADR 330
वाद में वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी में इस आधार पर खारिज कर दिया
था कि वादीगण का वाद कोई भी वाद कारण नहीं दर्शित करता है इस दृष्टांत में यह
किया गया है कि–

HINDU SUCCESSION ACT (30 Of 1956). S.B. SUIT FOR PARTITION- MAINTAINABILITY – HIN
MALE DIED INTESTATE – HINDU UNDIVIDED FAMLIY NOT IN EXISTENCE PRIOR TO HIN
SUCCESSION ACT COMING INTO FORCE – PROPERTIES INHERITED BY DECEASED OWNER
DEMISE OF HIS FATHER WOULD BECOME HIS PERSONAL PROPERTIES SON OF DECEA
OWNER WOUD NOT ACQUIRE ANY CO- PARCENARY SHARE IN PROPERTIES TILL OWNER W
ALIVE – SUIT PROPERTY WOULD DEVOLVE ON SON OF DECEASED IN HIS INDIVIDUAL CAPAC
ON DEATH OF OWNER – CLAIM OF GRANDSON OF DECEASED FOR PARTITION OF SUIT P
PERTIES ON GROUND THAT SAME WERE ANCESTRAL NOT MAINTAINABLE.

A.I.R.N.O.C. 21 (MADRAS H.C.)

HINDU SUCCESSION ACT (30 OF 1956), S.B. SUCCESSION IN CASE OF MALES –SON
DECEASED BEING CLASS I HEIR ENTILED TO SUCCEED TO THE EXCLUSION OF GRANDSON.

A.L.R.N.O.C. 2236 (KARNATAKA H.C.)

HINDU SUCCESSION ACT (30 OF 1956), S.B.- ANCESTRAL PROPERTY- PROPERTY INHERITED
SONS IN INDIVIDUAL CAPACITY – SONS DEED EXECUTED BY ONE OF MEMBERS OF FAMILY
PLAINTIFFS AS SONS ARE ENTITLED TO DECLARATION THAT SALES ARE NOT BINDING ON THE

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedya
Date: 2025.07.03 14:24:54 IST
Reason: SelfAttested

SHARES. THOUGH UNDER TRADITIONAL HINDU LAW, FROM THE MOMENT AS SON IS BRON HE GETS A SHARE IN HIS FATHERS ANCESTRAL AND BECOMES A COPARCENER ON ACCRUAL OF THAT RIGHT BY HIS BRITH IN THE FAMLIY THAT POSITION IS AFFECTED AND MODIFIED BY SECTION 8 OF THE HINDU SUCCESSION ACT 1956. CONSEQUENTY, THE PROPERTY OF THE FATHER WHO HAD SEPARATED FORM HIS FAMLIY ON HIS DEATH WILL BE INHERITED AND HELD BY HIS SONS IN THEIR INDIVIDUAL CAPACITY AND SON'S SON/SONS WILL HAVE NO RIGHT THEREIN AS COPARCENERS. AIR 1986 SC 1753- FOLL. 9PARAS 16, 17,18).

A.I.R.N.O.C. 273 (P&H H.C.)

HINDU LAW – SEPARATE PROPERTY – CAN BE TREATED AS JOINT FAMILY PROPERTY BY MARGER WITH ADMITTED JOINT FAMILY PROPERTIOES EXISITING – PERSON WHO ASSERTS THAT IT IS A JOINT FAMILY PROPERTY HAS TO PROVE ITS JOINT FAMILY CHARACTER- THER CAN BE NO PRESUMPTION THAT PROPERTY INHERITED BY FATHER WNDER ACT OF 1956 IS TO BE TREATED BY FATHER AS JOINT FAMILY PROPERTY ALONG WITH HIS SONS HINDU SUCCESSION ACT (30 OF 1956), S.B. (PARA 8) उपरोक्त आधारों पर यह स्पष्ट है कि मूल पुरूष मोडा जी के देहावसान के पश्चात उसका पुत्र रामलाल व अन्य पुत्र सम्पूर्ण रूपेण मालिक होगे तथा श्री रामलाल के जीवनकाल में उसके पुत्र अथवा पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें।

9. अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने जवाब में कथन कहा की प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तान्तरण किया है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं हैं। उपरोक्त कथन का विवेचन उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में किया जा चुका हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने जवाब में कथन में कहा की उपरोक्त वाद का निस्तारण जवाब दावा लेकर तनकियात कायम कर साक्ष्य सबुत के आधार पर किया जा सकता हैं। वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं हैं। वादीगण के उपरोक्त कथन के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि मेरिटलेस वाद को प्रारम्भिक स्तर ही खारिज किया जाना चाहिये ताकि न्यायालयों का समय अनावश्यक रूप से नष्ट न हो।

ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 2421

IF ON A MEANINGFUL – NOT FORMAL – READING OF THE PLAINT IT IS MANIFESTIY VEXAATIOUS, AND MERITLESS, IN THE SENSE OF NOT DISCLOSING A CLEAR RIGHT TO SUE, THE TRIAL COURT SHOULD EXERCISE ITS POWER UNDER O 7 R 11 C.P.C TAKING CARE TO SEE THAT THE GROUND MENTIONED THEREIN IS FULFILLED, THE TRIAL COURTS SHOULD INSIST IMPERRATIVELY ON EXAMINING THE PARTY AT THE FIRST HEARING SO THAT BOGUS LITIGATION CAN BE SHOT DOWN AT THE EARLLEST STAGE.

10. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण स्वयं अपने वाद पत्र की कलम संख्या 3 में उनके द्वारा दर्शाये गये सजरे में मोडा पिता चुन्नीलाल को मुल पुरूष मानते है। इसके पूर्व का न तो कोई सजरा दिया गया है. न ही वादग्रस्त आराजीयत किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पति हैं इसका कोई भी वर्णन वाद पत्र में किया गया हैं। इस कारण वादग्रस्त आराजीयात के मुल पुरूष मोडा जी होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार उनके पुत्रों में निहित हुई एवं वे ही प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी हैं। प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीयों के जीवनकाल में उनके पुत्र अथवा पुत्रियों को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं जो प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट हैं। इस प्रकरण में विवाद मात्र प्रतिवादी संख्या 1 श्री रामलाल के हिस्से की सम्पति तक ही सीमित है और चूंकि वादी संख्या 1 श्री रामलाल जीवित है तो उसके जीवनकाल में उसके पुत्र/पुत्रियों को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। न्यायिक दृष्टान्त 2016 डी.एन.जे. (दिल्ली) पेज नम्बर 258 के अवलोकन से वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं हैं। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को मौरूसी सम्पति होने का कथन कहा है लेकिन वादग्रस्त सम्पति किस प्रकार से मौरूसी सम्पति हैं यह स्पष्ट नहीं किया हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2016 DELHI 120 DELHI HIGH COURT SURENDRA KUMAR VS.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:54 IST
Reason: SelfAttested

DHANI RAM AND ORS. में स्पष्ट किया है कि " This position of law along with t how the properties are HUF properties was required to be stated as a positive sta the plaint of the present case but if is seen that except uttering amantra of the t inherited by defendant no. 1 being ancestral properties and thus the existence there is no statement or a single averment in the plaint as to when this HUF which to own the HUF properties came into existence or was created." साथ ही स्पष्ट this court is flooded with litigation where only self-serving are made in the existence of HUF and a person being a coparcener in any manner pleading the requisite legally required factual details as to how HUF came into existence. It is non that pleadings must contain all the requisite factual ingredients of a cause and once the ratios of judgments of the Supreme Court in the cases of Chander Yudhishter comne in, the pre 1953 position and the post 1956 position has to clear, and also as to how HUF and its properties came into existence whether bef or after 1956. It is no longer enough to simply state in the plaint after passing of t Succession Act, 1956, that there is a joint Hindu family or an HUF and a per coparcener in such an HUF/joint Hindu family for such person to claim right properties as a coparcener unless the entire factual details of the cause of action o and each property as an HUF is pleaded." माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय किया है कि याचिका में कार्यवाही के समस्त आवश्यक तत्व शामिल होने चाहिये सम्पति की स्थिति को भी स्पष्ट किया जाना चाहिये। याचिका में केवल यह बतान नहीं की सम्पति संयुक्त हिन्दु परिवार की है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद में स्पष्ट नहीं किया की सम्पति किस प्रकार संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि हैं कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। वादीगण द्वारा जब अपने वाद पत्र में इस प्र कोई कथन वर्णित नहीं किये गये है तो इससे पृथक साक्ष्य भी पेश नहीं किये ज तदनुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादीगण के वाद पत्र को ही देखा निर्णय किया जाना हो तो वादीगण का वाद ऐसा कोई वाद हेतु प्रकट नहीं व जिससे उक्त सम्पतियों में उसका हक प्रकट होता हो। वादीगण ने अपने वाद समर्थन में ऐसा कोई न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत नहीं किया हैं जिसके प्रकाश में व को कोई सहायता प्राप्त हो।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की वादीगण को वा हेतुक प्रकट नहीं करता हैं तथा वादीगण का वाद हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 19 धारा 8 के तहत विधि द्वारा वर्जित हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीग वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 60/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/164

अनवान

1 श्रीमती पार्वती पुत्री रामलाल जणवा (पत्नी दिनेश कुमार जणवा) निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

2 श्रीमती रसीला पुत्री रामलाल जणवा (पत्नी जगदीश जणवा) निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

......वादीगण

बनाम

1. श्री रामलाल पिता मोडा जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
2. श्री भंवरलाल पिता मोडा जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
3. श्रीमती टमुबाई पत्नी जवेर जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
4. श्री गणपत पिता जवेर जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
5. श्रीमती रमीला पुत्री जवेर जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
6. श्रीमती गुडडीबाई पत्नी चौथमल जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
7. श्रीमती काजल पुत्री चौथमल जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
8. श्रीमती सीता पुत्री चौथमल जी जणवा नाबालीग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती गुडडीबाई पत्नी चौथमल जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
9. श्री जगदीश पिता भंवरलाल जणवा निवारी सालेडा ततहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
10. श्री मोहनलाल पुत्र नन्दलाल कलाल निवासी सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
11. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 60/24 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 [illegible] 11 सपठित धारा 151 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अस्वी[illegible] खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:54 IST
Reason: SelfAttested